सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,सिद्धार्थनगर–272202
उ0प्र0(भारत)Email Id: registrarsidduniv@gmail.com

पत्रांक–1081/शो0अनु0/सि0वि0वि0/2024 दिनांक–24/04/2024

अधिसूचना

संशोधित पीएच0डी0 दिशा निर्देश–2023 के अनुसार प्रत्येक शोधार्थी के लिए उसके शोध निर्देशक द्वारा **छात्र शोध समिति** (SRC) का गठन किया जाना है। अतः माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार सिद्धार्थ विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के समस्त शोध–निर्देशकों से आग्रह किया जाता है कि वे अपने निर्देशन में शोध कार्य (पी–एच.डी.) करने वाले प्रत्येक शोध छात्र हेतु पृथक्–पृथक् छात्र शोध समितियों का गठन कर उसकी सूचना एक सप्ताह के भीतर उचित माध्यम से शोध अनुभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। समिति का स्वरूप निम्नानुसार रहेगा–

सम्बन्धित पीएच0डी0 शोधार्थी के निर्देशक	: अक्ष्यक्ष
सम्बन्धित पीएच0डी शोधार्थी के सह–निर्देशक (यदि कोई हों तो)	: सदस्य
विभाग से एक विषय–विशेषज्ञ	: सदस्य
सहयोगी विभाग से एक विशेषज्ञ	: सदस्य

विशेष :

- समिति के उल्लेखित विशेषज्ञ विशेषतः अभ्यर्थी के निर्देशक द्वारा नामित किये जायेंगे और विभागीय शोध समिति द्वारा अनुमोदित किये जायेंगे तथा अभ्यर्थी के शोध विषय अथवा सम्बन्धित क्षेत्र में कार्य का व्यापक अनुभव रखने वाले होंगे।
- ऐसे महाविद्यालय/संस्थान में जहाँ विभाग में पर्याप्त विशेषज्ञ न हों, वहाँ वे सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के किसी अन्य सहयोगी महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के विभाग से उन्हें नियुक्त कर सकते हैं, परन्तु विशेषज्ञों के लिए बैठक–पारिश्रमिक अथवा मार्ग–व्यय अनुमन्य नहीं हैं।
- समिति का कोरम कम से कम तीन सदस्यों के उपस्थित रहने पर पूरा होगा।
- छात्र शोध समिति की बैठकें शोध निर्देशक के सम्बन्धित संस्थान के विभाग में होगी।

शोध छात्र समिति के उत्तरदायित्व निम्नवत होंगे–

1. प्रत्येक शोध छात्र के लिए उससे सम्बन्धित छात्र शोध समिति (SRC) होगी, जो उसके प्रवेश लेने के सामान्यतः छः माह के भीतर अधिसूचित की जायेगी।
2. उक्त छात्र शोध समिति शोधार्थी के निर्देशन, प्रशासन, प्रगति–मूल्यांकन इत्यादी के लिये समग्रतः उत्तरदायी होगी।
3. समिति अनुसन्धान कार्य की प्रगति का मूल्यांकन करने और आगे के मार्गदर्शन के लिए सम्बन्धित शोध छात्र द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली प्रत्येक छमाही प्रगति रिपोर्ट DRC में प्रस्तुत करने से पहले कम–से–कम एक समीक्षा बैठक आयोजित करेगी।
4. सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु के पीएच0डी0 कार्यक्रम में पंजीकृत एक शोधार्थी के समस्त मामले छात्र शोध समिति के माध्यम से ही आगे बढ़ाये जायेंगे।
5. प्रत्येक शोध छात्र की छमाही प्रगति रिपोर्ट छात्र शोध समिति द्वारा मूल्यांकन के उपरान्त विभागीय शोध समिति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी, जिसकी एक प्रति यथा–समय समीक्षा और सहायता के लिये उसे शोधार्थी को दी जायेगी। विभागीय शोध समिति अपनी संस्तुति के साथ उसे सम्बन्धित अधिष्ठाता के द्वारा शोध अनुभाग को प्रेषित करायेगी।

24.04.24

कुलसचिव

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,सिद्धार्थनगर–272202
उ0प्र0(भारत)Email Id: registrarsidduniv@gmail.com

संलग्न :

1. संशोधित पीएच0डी0 दिशानिर्देश–2023 के सम्बन्धित पेज की छाया प्रति।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या सम्बद्ध महाविद्यालय सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
2. समस्त अधिष्ठातागण को तदनुसार कार्यवाही कर आगे बढ़ाने हेतु प्रेषित।
3. समस्त शोध निदेशक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु सि0नगर।
4. समस्त विभागीय शोध समितियों के अध्यक्षगण को उक्तानुसार व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु।
5. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी अवलोकनार्थ।
6. वैयक्तिक सहायक कुलसचिव, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
7. मीडिया प्रभारी, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु।
8. प्रभारी कोडिग सेल, इस आशय से प्रेषित कि इसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर कराना सुनिश्चित करें।
9. सम्बन्धित पत्रावली में संरक्षित करने हेतु।

24.04.24

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय,कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

4. *The Student Research Committee (SRC)*

- *Supervisor of the concerned Ph. D. student* – *Chairperson*
- *Co-Supervisor (if any) of the concerned Ph. D. student* – *Member*
- *One expert in the field from the Department* – *Member*
- *One expert from an allied Department* – *Member*

Experts mentioned above shall be preferably nominated by the supervisor of the candidate and approved by the DRC and he/she shall have experience of working in the broad area of the subject or related area of the candidate.

Also in case the College/Institution which does not have adequate experts from the department, they can appoint the experts from another allied college of Siddharth University or the department in the University. However, the experts shall not be eligible for the sitting fee or TA/DA.

The quorum of the committee shall be the presence at least three members present.

SRC shall be held in the Department/college.

The Functions of Research Degree Committee (RDCU):

Scanned with OKEN Scanner

... with a copy to the research student.

The Student Research Committee (SRC) shall have the following responsibilities:

1. Each research student shall have their respective student research committee (SRC), which shall be notified within six months of their admission.
2. The SRC shall be responsible for overall guidance, administration, progress evaluation of the research student.
3. The committee shall conduct a minimum of one review meeting before submission of each six monthly progress report to evaluate the progress of research work and presentation of the concerned research student for further guidance.
4. All the matters of a research student registered in Ph.D. program of SUK must be processed through their SRC.

Scanned with OKEN Scanner